फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री इब्राहिम छीपा पुत्र श्री रमजुदीन छीपा निवासी प्रेम नगर, वार्ड नं. 18, आसीन्द, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 90/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 29.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ से जरिये क्रमांक सू.का अधि. 05/2023/81 दिनांक 05.01.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री इब्राहिम छीपा पुत्र श्री रमजुदीन छीपा निवासी प्रेम नगर, वार्ड नं. 18, आसीन्द, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा द्वारा कार्यालय हाजा को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पत्र दिनांक 23.10.2023 का सूचना का अधिकार अधिनियम 05 के तहत इस कार्यालय को 26.10.2023 को प्राप्त हुआ। आरटीआई आवेदन पत्र के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी उक्त सूचना हेतु तहसीलदार गढबोर को इस कार्यालय के पत्रांक सू.का अधि.05/1579 दिनांक 26.10.2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) के तहत अन्तरण किया गया तत्पश्चात तहसीलदार गढ़बोर के पत्रांक 1698–1700 दिनांक 05.12.2023 के द्वारा प्रार्थी को यथा सूचना डाक द्वारा सूचना भिजवा दी गयी।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद